न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 83 / 2022

वादी :—

पुनाराम पुत्र रामाराम के कायम मुकाम—
1/1 भेराराम पुत्र स्व. श्री पुनाराम जाति पटेल(सांखला) निवांसी बेरा सांखलाठ बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :—

1. भंवरलाल पुत्र रामाराम
2. परसराम पुत्र भंवरलाल
3. बाबुबाल पुत्र भंवरलाल
4. पुखाराम पुत्र रामाराम
5. देवी पत्नी पारसराम
6. सेणी पत्नी बाबूलाल

सभी जातियान पटेल सांखला पेशा खेती निवासीगण बेरा सांखलाठ बिजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—वादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल एडवोकेट।
प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय **दिनांकः**—02/09/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी को करीब 25 वर्षो से दोनों आंखो से दिखता नही है। यानि कि दोनों आंखो से ब्लाईण्ड है वादी इस हालत में वादी की खरीदसुदा कृषि भूमि ग्राम बरना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नम्बर 283 रकबा 1.6585 हैक्टेयर, किस्म बारानी प्रथम की काश्त व देखरेख वादी का एकमात्र पुत्र भेराराम व वादी की पुत्रवधू भंवरीदेवी करते आये है। काफी वर्षो पहले वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि बिलाड़ा चक नम्बर 1—द्वितीय की सरहद में खसरा नम्बर 4657, 4658, 4661, 4665, 4668, 4671, 4672, 4675 की कुल भूमि 3.9238 हैक्टेयर में वादी की माता की मृत्यु होने पर विरासत का म्यूटेशन संख्या 1656 दिनांक 29.04.2022 को भरवाया एवं तत्पश्चात् वादी, वादी के भाई ढगलाराम एवं प्रतिवादीगण की सहमति से वादी की बहने भूरीदेवी, माडीदेवी, रूकमादेवी द्वारा हकतर्कनामा वादी एवं वादी के भाईयों के पक्ष में दिनांक 02.05.2022 को उप पंजीयक कार्यालय बिलाड़ा में पंजीबद्ध करवाया, उक्त हकतर्कनामा के जरिये वादी की बहनों का नाम राजस्व रेकर्ड से उनके द्वारा तर्क करने के बाद म्यूटेशन संख्या 1659 दिनांक 07.06.2022 के जरिये हटा दिया गया। इस प्रकार पुश्तैनी कृषि भूमि जो बेरा सांखलाठ बींजवाड़िया रोड़ बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय में स्थित में वादी व वादी के अन्य तीन भाईयों का बहिस्सा बराबर—बराबर निहित हो गया। उसके बाद प्रतिवादीगण ने हठधर्मिता इस कदर की कि पुश्तैनी भूमि का मौके पर बंटवाड़ा तुरन्त कर लो। तब वादी ने इनके दबाव के कारण पुश्तैनी भूमि का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बंटवाड़ा करने हेतु वादी ने कहा कि मैं तो दोनो आखों से अंधा हूँ मेरा पुत्र भेराराम आपके साथ चलकर हल्का पटवारी से नाप चौप करवाने का निवेदन कर भूमि का बंटवाड़ा सहमति से कर लो। जरूरत पडने पर बंटवाड़ा के दस्तावेजों पर अंगुठा कर दूंगा जो खर्चा आयेगा बहिस्सा बराबर–बराबर मेरा पुत्र भेराराम दे देगा, तब हल्का पटवारी से वादी का पुत्र भेराराम, मेरा भाई ढगलाराम व प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल एवं प्रतिवादी संख्या 4 पुखाराम मिले, फिर मौके पर दिनांक 07.05.2022 को हल्का पटवारी एंव भू अभिलेख निरीक्षक ने आकर राजीखुशी मौके पर सीमाज्ञान कर बंटवाड़ा कर मुड्डे रोपें, जिसका लिखित में बंटवाड़ा का प्रतिवादीगण को वादी एवं वादी के भाई ढगलाराम ने कहा तो वे तहसील में चलने से साफ इन्कार कर दिया एवं मौके पर पुश्तैनी भूमि में रोपे गये मुड्डे उखाड़कर सीमा के निशान मिटा दिये। इस प्रकार प्रतिवादीगण अकारण ही मनमुटाव रखने लग गये। वादी की स्वअर्जित खरीदसुदा कृषि भूमि जो ग्राम बरना में खसरा नम्बर 283 रकबा 1.6585 हैक्टेयर (करीब 10 बीघा 5 बिस्वा) स्थित है। उक्त भूमि का एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादी है एवं काश्तकार की हैसियत से कामिल मालिक काबिज है। जिसमें वादी के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 1.6585 हैक्टेयर (करीब 10 बीघा 5 बिस्वा) को आगे इस वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। क्योकि प्रतिवादीगण वादी की वादग्रस्त भूमि में हर प्रकार से दखलन्दाजी करने लग गये है, जिन्हे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। दिनांक 29.06.2022 को सुबह करीब 7.30 बजे वादी का पुत्र भेराराम व उसकी पत्नी भंवरीदेवी साथ में दो मजदूर राजूराम व बीरमाराम जंगलिया को वादग्रस्त भूमि में सूड़ करने के लिए गये तो जाते ही उक्त वादग्रस्त भूमि में खडी झाड़ियों की सफाई करने लगे। थोड़ी देर बाद करीब 8 बजे सभी प्रतिवादीगण एकराय होकर हाथों में कूट, कस्सी, बेवला व खुरपा लेकर वादग्रस्त भूमि में जबरन कब्जा करने व जान से मारने की नियत से आये ओर आते ही वादी के पुत्र व पुत्रवधू को गाली ग्लौच करने लगे एंवं सूड़ करने से इन्होने वादी के पुत्र भेराराम के आड़े फिरकर रोक दिया तथा वादी के पुत्र भेराराम के साथ मारपीट करने लगे तो उस समय वादी के पुत्र भेराराम की प्त्नी भंवरीदेवी व मौजूद दोनो मजदूर राजूराम व बीरमाराम जंगलिया ने बीच बचाव किया। तब प्रतिवादी संख्या 2 पारसराम ने वादी की पुत्रवधू मंवरीदेवी को अपनी बाधों में पकड़कर नीचे गिरा दिया व उसके ऊपर बैठ गया व गला दबाया तथा उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर दिये, जिससे वादी की पुत्रवधू की इन समी लोगो के सामने लज्जा भंग हुई। वादी की पुत्रवधू व मजदूरों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो प्रतिवादीगण वादी के पुत्र को जान से मार देते। इस घटना की जानकारी वादी के पुत्र भेराराम ने वादी को दी तब वादी अपने पुत्र भेराराम के साथ पुलिस थाना बिलाड़ा में उक्त घटना की रिपोर्ट वादी के पुत्र भेराराम से टाईप करवाकर पेश करवाई। जिस पर पुलिस थाना बिलाड़ा ने अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। दिनांक 30.06.2022 को प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकिये दी कि पुलिस हमारा कुछ नही बिगाड़ सकती, क्योकि हमने पुलिस वालों से सांठ गांठ कर ली है, इतना ही नही प्रतिवादीगण ने यह भी एलानिया धमकी दी कि दिनांक 29.07.2022 को वादी का पुत्र मेराराम बच गया आयन्दा मौका मिला तो जान से मारे बगैर नही छोड़ेंगे ओर बरना वाले खेत पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल कर फर्जी तरीके से किसी अनजान व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवा देंगे। इन सभी कारणों से वादी को पूरा–पूरा अंदेशा है कि प्रतिवादीगण वादी एवं वादी के एकमात्र पुत्र भेराराम को जान से मारकर वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर वादी की वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर फर्जी तरीके से किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर देंगे। जिससे वाद की बहुलता बढेगी, वादी को क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नही आंका जा सकेगा। प्रतिवादीगण संख्या बल में ज्यादा है ओर प्रभावशाली है, समय रहते वादग्रस्त भूमि एवं वादी

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के पुत्र परिवार की सुरक्षा हेतु अन्य कोई विकल्प नही होने से मजबूरन यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का हमरा पेश है। वादकारण विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.06.2022 को वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण एकराय होकर जान से मारने की नियत से जबरन घुसकर सूड़ करते हुए के आड़े फिरकर गाली गलौच करने व मारपीट कर लज्जा भंग करने पर एवं दिनांक 30.06.2022 को प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकिये दी कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योकि हमने पुलिस वालों से सांठ गांठ कर ली है, इतना ही नही प्रतिवादीगण ने यह भी एलानिया धमकी दी कि दिनांक 29.07.2022 को वादी का पुत्र भेराराम बच गया आयन्दा मौका मिला तो जान से मारे बगैर नही छोड़ेंगे ओर बरना वाले खेत पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल कर फर्जी तरीके से किसी अनजान व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवा देने की धमकी बिलाड़ा में देने पर सतत् जारी है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमावे कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 283 रकबा 1.6585 हैक्टेयर में वादी व वादी के पुत्र, परिवार के कब्जे काश्त की भूमि से वादी एवं वादी के परिवार वालों को हमेशा हमेश के लिए किसी प्रकार से बेदखल नही करे ओर न ही अपने हाली एजेन्ट, नौकर, चाकर, रिश्तेदार एवं प्रतिनिधि इत्यादि से कराने की चेष्टा करावे। वाद व्यय प्रतिवादीगण से वादी को दिलवाया जावे। अन्य दादरसी जो वादी के हक में हो विधि अनुसार अता फरमावें।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया, प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से ना तो स्वयं और ना ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित होने के कारण दिनांक 10.04.2023 को प्रतिवादी सं. 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 7 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है। वादी अधिवक्ता ने दिनांक 12.06.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित वाद शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का खंडन नहीं करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र भेराराम पुत्र पूनाराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी खाता सं. 445 प्रतिलिपि, प्रदर्श 2 जमाबंदी खाता सं. 340 बिलाडा चक 1, प्रदर्श 3 आधारकार्ड वादी, प्रदर्श 5 अंधता प्रमाण पत्र वादी के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम बरना की भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 1.6585 हैक्टयर के वादी रेकर्डेड खातेदार है। विवादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है जिस पर काश्त करने का वादी को पुरा अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का वादी की भूमि से कोई सम्बंध नही है। विवादित मामले में रेकर्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होता है। विवादित भूमि वादी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक अनुतोष के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रूप में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा केवल रेकर्डेड खातेदार ही ला सकता है। वादी विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। इस कारण रेकर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होने के कारण उनके पक्ष में मामला बनता है तथा अगर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी और वह खेती करने से महरूम हो जायेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी पूनाराम की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

अतः वादी पूनाराम का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 1.6585 में वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे, न ही प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वादी की खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर काश्त आदि कार्य करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 2/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
पूनाराम		भंवरलाल वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 83/2022

निर्णय **दिनांक :–** 2/09/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र कुमार पटेल वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी पूनाराम का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 1.6585 में वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे, न ही प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वादी की खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर काश्त आदि कार्य करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 2/9/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा